मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक F/14-/01 /2018/मेडि–1 /17 भोपाल, दिनांक 16/03/2018

" आदेश "

राज्य शासन एतद्द्वारा प्री.पी.जी.प्रवेश परीक्षा वर्ष 2018 में नेशनल एलेजेबीलिटी कम–एन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET) द्वारा चयनित सफल सेवारत अभ्यर्थियों को उनके द्वारा विभाग में की गई सेवा के प्रतिफल के रूप में अधिभार अंक निम्न शर्तों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदान करती है :–

1. सेवारत अभ्यर्थी वे अभ्यर्थी होंगे जो मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा किसी विभाग अथवा राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत नियमित अथवा संविदा में निरन्तर कार्यरत है।

2. सेवारत अभ्यर्थियों को अधिभार अंक का लाभ निम्नानुार निर्धारित दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्र हेतु प्रदान किया जावेगा –

(अ) "89" आदिवासी विकास खण्डों में स्थित समस्त स्वास्थ्य संस्थाऐं।

(ब) **सामान्य क्षेत्रों के लिए** –

सामान्य क्षेत्र के विकास खण्डों में स्थित समस्त सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो –

– नगर निगम क्षेत्र सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर स्थित न हो।
– नगर पालिक क्षेत्र सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर स्थित न हो।

3. **सेवारत अभ्यर्थी का चयन मापदण्ड एवं पात्रता –**

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए उपाधि (डिग्री) तथा पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम हेतु चयन प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :–

(3.1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्पांसरशिप की पात्रता उन नियमित सेवारत अभ्यर्थियों को होगी जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यह स्पांसरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं किसी अन्य लाभ के लिए देय नहीं होगी, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा।

परन्तु तीन वर्ष से कम सेवा अवधि वाले नियमित चिकित्सकों एवं संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को वेतन की पात्रता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पी.जी.कोर्स के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्टायपैंड देय होगा।

21 MAR 2018

(3.2) मेडिकल काउसिंल आफ इण्डिया रेगूलेशन, 2000 (संशोधित जनवरी 2017 तक) के नियम 9 (vii) के अनुसार – स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने नियम–3 अनुसार क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष तक सेवा की है।

परन्तु स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम में कुल डिप्लोमा सीटों में से सेवारत अभ्यर्थियों हेतु 50 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिये केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो 28 फरवरी 2018 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा किसी विभाग अथवा राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत नियमित अथवा संविदा में, नियम–3 अनुसार क्षेत्रों में कार्यरत रहे हों एवं जिसने 03 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर ली हो एवं वर्तमान में कार्यरत हो।

(3.3) अधिभार अंकों की गणना के नियम प्रयोजन के लिए अर्हताकारी सेवा हेतु कालावधि की गणना निर्देश में चिन्हित क्षेत्र की सेवा के लिए उस स्थिति में नहीं की जायेगी जब अभ्यर्थी ऐसे क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में पदस्थ अथवा संलग्न रहा हो अथवा उस कार्यकाल के दौरान अनाधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहा है/कोई डायजनॉन अवधि हुई है/कोई अवैतनिक छुट्टी पर रहा है।

(3.4) भारतीय चिकित्सा परिषद के पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एज्यूकेशन रेग्यूलेशन, 2000 संशोधित जनवरी 2017 की कंडिका–9 (iv) में दिये निर्देश के परिपालन में सेवारत अभ्यर्थी को अर्हता अनुसार नीट पी0जी0 2018 के प्राप्तांक का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के मान से प्राप्तांकों का अधिकतम 03 वर्ष के 30 प्रतिशत अंक का भारांश दिया जायेगा।

(3.5) दो या उससे अधिक सेवारत अभ्यर्थियों को बराबर अंक मिलने की दशा में अभ्यर्थी की आयु में वरीयता को भारांश देते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जावेगी।

(3.6) नियमित एवं संविदा पर कार्यरत सेवारत् अभ्यर्थियों को पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत डिग्री हेतु 05 वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 03 वर्ष की सेवा विभाग/सोसायटी द्वारा विहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बाण्ड का निष्पादन करना होगा जो पी.जी. डिग्री हेतु रूपये 30.00 लाख (तीस लाख) तथा पी.जी. डिप्लोमा हेतु रूपये 20.00 लाख (बीस लाख) होगा। बाण्ड का निष्पादन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय के पक्ष में करना होगा।

(3.7) सेवारत पुरूष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 01 जनवरी 2018 को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(3.8) समस्त पात्र सेवारत अभ्यर्थी (चिकित्सा अधिकारी) परीक्षा परिणाम सहित अपना आवेदन आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तुत करेंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा सभी विभागों के चिकित्सा अधिकारियों के भारांश अंकित कर एकजाई सूची तैयार की जावेगी।

(3.9) अन्य विभागों में सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के नाम विभाग की टीप के साथ संबंधित विभाग आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश को प्रेषित करेंगे।

(3.10) आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं आवेदकों के नाम सेवारत अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित कर संचालक, चिकित्सा शिक्षा को भेजेंगे।

(3.11) सेवारत अभ्यर्थियों की परामर्श (काउंसलिंग) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक F/14-/01 **/2018/मेडि-1/17** **भोपाल, दिनांक** 16./.03.../**2018**
प्रतिलिपि : –

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।

.....

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, जन सम्पर्क बाणगंगा भोपाल।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
8. संमस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक (विज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर प्रेषित लेख है कि उक्त आदेश विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. आदेश नस्ति।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग